न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 130/08 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मोहनसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 नारायणसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (फौत)

1/1 ताजकंवर विधवा नारायणसिंह राजपूत

1/2 हनुमान सिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह राजपूत

1/3 बिजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह

1/4 विश्वेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह

2 जगबीरसिंह पुत्र भंवरसिंह

3 रघुवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह

4 अशोक पुत्र चरतसिंह (फौत)

4/1 उषा बेवाह अशोक

4/2 धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 अशोक

4/3 नीरज पुत्र स्व0 अशोक

4/4 निर्मला पुत्री स्व0 अशोक

5 महेन्द्र पुत्र चरतसिंह

6 योगराज पुत्र चरतसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम छापर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

7 प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

8 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:--- रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
मुण्डावर दिनांक 18.9.2008

उपस्थित	:-	1.	वकील अपीलांट	:-	श्री रामसिंह यादव
		2.	वकील रेस्पो	:-	श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

निर्णय — दिनांक 16.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/07 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 18.9.2008 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 43 एयर तथा 475 रकबा 89 एयर वाके ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर में 1/2 भाग का गिरधारीसिंह तथा 1/2 भाग का बेरिसालसिंह खातेदार है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 6 गिरधारी के वारिसान होकर गिरधारीसिंह के 1/2 हिस्से पर काबिज है तथा बेरिसालसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8.7.1972 अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति वादी के नाम कर दी । परन्तु सम्वत 2035 में बेरिसालसिंह की 1/2 आराजी वादी के नाम दर्ज नहीं की और प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी में बेरिसालसिंह 1/2 हिस्से का खातेदार था । उसने जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपनी समस्त चल व असल सम्पत्ति वादी अपीलांट के नाम कर दी । जरिये वसीयत वादी अपीलांट उसकी खातेदारी की 1/2 भाग भूमि पर काबिज हो गया । परन्तु सम्वत 2035 की जमाबन्दी तैयार करते समय वादी के नाम अमल नहीं किया और गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । वादी अपीलांट ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । फिर भी वादी का वाद खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में ए0आई0आर0 1960 एस0सी0 पेज 100 का हवाला दिया ।

4 बहस के दौरान विद्वान वकील रेस्पो0 ने वादी के वाद पत्र के तथ्यों को नकारा तथा निवेदन किया कि विवादित आराजी से वादी अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जिस समय वसीयत की गई थी, उस समय वसीयतकर्ता बेरिसालसिंह खातेदार नहीं था । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । तहत अदालत में प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 5 व 6 द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया था कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटिलमैंट के बाद जमाबन्दी सम्वत 2035 तैयार करते समय बेरिसालसिंह की 1/2 भाग की प्रविष्टि लिखने से रह गईऔर विवादित भूमि सालिम गिरधारी सिंह के वारिसान के नाम अमल हो गई । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने भी इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है । वसीयत दिनांक 8.7.82 एग्जिविट – 2 बेरिसालसिंह द्वारा वादी मोहनसिंह के पक्ष में निष्पादित की गई है ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य होता है और स्वीकार किये गये तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु फिर भी वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । उसके पक्ष में वसीयत है,जिसे आज तक निरस्त नहीं कराया गया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट मुताबिक इकबाल जवाब दावा स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट मुताबिक इकबाल जवाब दावा स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.9.2008 निरस्त किये जाते हैं तथा वादी अपीलांट का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 153 व 475 वाके ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त आराजीयात के 1/2 भाग पर वादी अपीलांट को खातेदार दर्ज किया जावे ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 130/08 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. मोहनसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 नारायणसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (फौत)

1/1 ताजकंवर विधवा नारायणसिंह राजपूत

1/2 हनुमान सिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह राजपूत

1/3 बिजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह

1/4 विश्वेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह

2 जगबीरसिंह पुत्र भंवरसिंह

3 रघुवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह

4 अशोक पुत्र चरतसिंह (फौत)

4/1 उषा बेवाह अशोक

4/2 धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 अशोक

4/3 नीरज पुत्र स्व0 अशोक

4/4 निर्मला पुत्री स्व0 अशोक

5 महेन्द्र पुत्र चरतसिंह

6 योगराज पुत्र चरतसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम छापर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

7 प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

8 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:--- रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
मुण्डावर दिनांक 18.9.2008

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामसिंह यादव
2. वकील रेस्पो :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

पर्चा डिक्री दिनांक 16.03.2021

अपील अपीलांट मुताबिक इकबाल जवाब दावा स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.9.2008 निरस्त किये जाते हैं तथा वादी अपीलांट का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 153 व 475 वाके ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरुस्ती की जाकर उपरोक्त आराजीयात के 1/2 भाग पर वादी अपीलांट को खातेदार दर्ज किया जावे ।

(अशोक कुमार साँखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर